यालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रा-पत्र संख्या :–13 / 2024 दायर दिनांक–30.7.2024

CMS NO:- 2024/204 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. बाबूलाल आयु व्यस्क पुत्र शंकरया जाति मीना नि0 ढाढूण तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री जयसिंह आशावत।

निर्णय दिनांक 30.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम ढाढूण प.म. मोडसा मे खसरा नम्बर 989 / 750 रकबा 2.2520 हैक्टयर, खसरा नम्बर 715 रकबा 0.5178 हैक्टयर, खसरा नम्बर 993 / 703 रकबा 0.2508 हैक्टयर, खसरा नम्बर 995 / 713 रकबा 0.1739 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी के अकेले के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित भूमियों की सीमा के संबंध मे प्रार्थी व भूमि के पडोसी खातेदारों के मध्य विवाद उत्पन्न हो रहा है जिससे प्रार्थी ने उक्त भूमि का सीमांकन करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसकी पालना मे हल्का पटवारी मोडसा द्वारा दिनांक 25.6.2024 एवं 21.5.2024 को प्रार्थी व मौके पर उपस्थित व्यक्ति की मौजुदगी मे सीमांकन भी किया जा चुका है। उक्त भूमियों के संबंध मे सीमांकन के बाद भी भूमि की सीमाओं के संबंध मे पडौसी खातेदारों से विवाद स्थिर बना हुआ है यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, दिनांक 25.6.2024 व 21.5.24 को हुए सीमाज्ञान के मौका पर्चा की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 10 माह से अधिक का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम ढाढूण प.म. मोडसा मे खसरा नम्बर 989 / 750 रकबा 2.2520 हैक्टयर, खसरा नम्बर 715 रकबा 0.5178 हैक्टयर, खसरा नम्बर 993 / 703 रकबा 0.2508 हैक्टयर, खसरा नम्बर 995 / 713 रकबा 0.1739 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैनवाँ